

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(1)राज/वाद/14

जयपुर, दिनांक 31-1-18

:: आदेश ::

विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.01.18 द्वारा कॉलम सं0 2 में वर्णित अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय की अतिरिक्त बैठक का स्थान कॉलम सं0 3 के अनुसार प्रत्येक माह के एकान्तर सप्ताह में तीन दिवस कुल 06 दिन प्रतिमाह नियत किये जाने के फलस्वरूप कॉलम सं0 4 में वर्णित अपर लोक अभियोजकगण को उक्त अतिरिक्त बैठक में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु एतद्वारा निर्देशित किया जाता है:-

क्र0सं0	न्यायालय का नाम	अतिरिक्त बैठक का स्थान	अभियोजक का पद नाम
1	2	3	4
1	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं0 1 चित्तौड़गढ़	कपासन	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 1 चित्तौड़गढ़
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं0 3 सीकर	लक्ष्मणगढ़	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 3 सीकर

sd
(रीटा तेजपाल)
विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि ।
2. संबंधित अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश----- ।
3. संबंधित जिला कलक्टर, ----- ।
4. संबंधित अपर लोक अभियोजक को अविलम्ब पालना सुनिश्चित करने हेतु ।
5. सहायक लेखाधिकारी, विधि वादकरण विभाग ।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु ।
7. रक्षित पत्रावली ।

sd
(रीटा तेजपाल)
विशिष्ट शासन सचिव, विधि